संचिका सं0–08/भू0सु0 को0 (ऑन–लाईन दाखिल–खारिज)–01/2018–......................../रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भूमि सुधार कोषांग)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– ....

विषयः– **ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के ससमय निष्पादन के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों को ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल–खारिज हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही निबंधन कार्यालयों को भी अंचल कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है ताकि निबंधन कार्यालयों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं के आधार पर दस्तावेज निष्पादन की तिथि से तीन दिनों के भीतर अंचलाधिकारी द्वारा Suo Motu दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। विदित हो कि राज्य के 45 शहरी अंचलों में ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज की प्रकिया दिनांक–01.12.2017 से ही प्रारंभ की गई थी। ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज की प्रकिया प्रारंभ करने के उपरान्त ऑफ–लाईन पद्धति से दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन नहीं किया जा सकेगा।

आप अवगत है कि भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का एक मुख्य कारण राजस्व अभिलेखों का अद्यतन नहीं होना है। ससमय भूमि का दाखिल–खारिज नहीं होने एवं प्लॉटवार स्पष्ट रकबा एवं अन्य विवरणी उपलब्ध नहीं होने के कारण पारिवारिक झगड़ों एवं भूमि खरीदारों के बीच विवाद की सम्भावना काफी बढ़ जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मृत व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी पंजी में दर्ज प्रविष्टियों को विधिवत खारिज कर वर्तमान में भूमि को कानूनी रूप से धारित करने वाले के नाम से जमाबंदी कायम की जाय तथा सृजित जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी एवं भू–लगान की प्रविष्टि की जाय।

विगत कई माह में विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि राज्य के सभी जिलों में दाखिल–खारिज से सम्बन्धित याचिकाओं के निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है एवं जिला स्तर पर दाखिल–खारिज से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया के सतत् एवं गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि कई मामलों में जमाबंदी पंजी में वांछित सूचना दर्ज नहीं रहने, जमीन बिक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं होने, मृत व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी कायम रहने, खेसरावार रकबा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं रहने, हल्का कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने एवं अंचल अधिकारी द्वारा लंबित याचिकाओं का नियमित अनुश्रवण नहीं करने के कारण याचिकाओं का निष्पादन निर्धारित अवधि में नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि जमाबंदी पंजी के क्षतिग्रस्त होने, पंजी का पृष्ठ फट जाने एवं कतिपय अ कारणों से जमाबंदी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जमाबंदी पंजी को पुनः सृजित करने हेतु विभागीय पत्रांक–19(9)/रा0, दिनांक–03.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये है। जमाबंदी पंजी में दर्ज सूचनाओं के डिजिटाईजेशन के क्रम में यह निदेश दिया गया था कि कम्प्यूटरीकृत जमाबंदियों का शत्प्रतिशत सत्यापन हल्का कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा एवं कम्प्यूटराईजेशन के क्रम में यदि कोई गलत प्रविष्टि की गयी है तो उसमें तत्काल संशोधन हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जमाबंदी पंजी में अनुपलब्ध कतिपय सूचनाओं का संग्रहण अंचल कार्यालय में उपलब्ध राजस्व पंजिओं एवं अभिलेखों तथा रैयतों से प्राप्त सूचना के आधार पर करते हुए संबंधित जमाबंदी में उनकी प्रविष्टि भी नियमित रूप से हल्का कर्मचारियों द्वारा करायी जायेगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी अंचलों में ऑन–लाईन माध्यम से लगान के भुगतान की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गयी है। रैयतों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी जमाबंदियों में लगान से संबंधित अद्यतन वांछित प्रविष्टि दर्ज हो।

उक्त तथ्यों के आलोक में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन एवं निर्धारित अवधि में दाखिल–खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अंचल स्तर पर कार्यरत सभी संबंधित कर्मियों यथा राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, कार्यपालक सहायक, एवं अंचल अधिकारी को विभागीय पत्रांक–793(8) दिनांक–05.10.2018 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में प्रशिक्षण एवं **Hands on training** दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. लंबित मामलों की समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश मामले 45 शहरी/जिला मुख्यालय के अंचलों में ही लंबित हैं। इन अंचलों में लंबित मामलों की समीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ है कि अधिकतर मामलों में हल्का कर्मचारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इन अंचलों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को कम्प्यूटर में प्रविष्ट करने हेतु पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि त्वरित गति से अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

3. ऑन–लाईन दाखिल–खारिज से संबंधित सौफ्टवेयर में उपलब्ध **"Reports"** सुविधा के माध्यम से प्रतिदिन प्राप्त हो रही याचिकाओं एवं प्रतिदिन निष्पादित की जा रही याचिकाओं की अंचलवार विवरणी प्राप्त कर अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर इसकी समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि अंचल अधिकारी द्वारा क्रमवार ही लंबित मामलों का निष्पादन किया जाय।

4. उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों को विशेष तौर पर चिन्हित करते हुए उनके निष्पादन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि मृत व्यक्तियों का नाम जमाबंदी पंजी से हटाया जा सके।

उत्तराधिकार नामांतरण में आपसी सहमति से पारिवारिक बटवारे को प्रोत्साहित करते हुए बटवारे के आधार पर अलग–अलग जमाबंदी सृजित करने की कार्रवाई की जाय। विशेष परिस्थिति में संयुक्त उत्तराधिकार नामांतरण की प्रकिया अपनाई जाए ताकि जमाबंदी पंजी से मृत रैयतों का नाम हटाया जा सके।

5. क्षतिग्रस्त जमाबंदी पृष्ठों को पुनर्गठित करने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–19(9)/रा0, दिनांक–03.01.2018 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं तद्नुसार पुनर्गठित जमाबंदी से संबंधित सूचनाओं को डिजिटाईज किया जाय। उल्लेखनीय है कि Online दाखिल–खारिज के निष्पादन तथा Online लगान भुगतान एवं जमाबंदी पंजी के यथायोग्य जमाबंदी संख्या में की जाने वाली प्रविष्टि के लिए अद्यतन रूप से जमाबंदी पंजी का आवश्यक विवरणियों सहित संधारण आवश्यक है। अतः अंचलों में पूर्व से संधारित जमाबंदी पंजियों के अद्यतीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय, साथ ही इसमें IIIAA पंजी की मदद लेने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाय। जमाबंदी पंजी अद्यतीकरण में रैयत की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर सभा आयोजित कराने की कार्रवाई की जाय।

6. अंचल कार्यालय में उपलब्ध राजस्व पंजियों तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज सूचनाओं के आधार पर प्लॉटवार रकवा एवं अन्य विवरणी से संबंधित सूचना संग्रहित कर उसका सत्यापन किया जाय तथा उसकी प्रविष्टि संबंधित जमाबंदी में सुनिश्चित किया जाय।

7. दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के क्रम में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी पंजी में प्लॉट वार सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती है। इस क्रम में यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व कर्मचारी सिर्फ दाखिल–खारिज याचिका के निष्पादन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जमाबंदी में आंशिक संशोधन नहीं करें वल्कि जमाबंदी से संबंधित सम्पूर्ण सूचनाओं को अद्यतन करें।

8. दाखिल–खारिज याचिकाओं को गुण–दोष के आधार पर ही अस्वीकृत किया जाय। जमाबंदी पंजी में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने या वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सर्वप्रथम जमाबंदी को अद्यतन करने का यथा संभव प्रयास किया जाय एवं संबंधित रैयतों से भी वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय ताकि जमाबंदी को अद्यतन करते हुए दाखिल–खारिज की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

9. दाखिल–खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच के क्रम में यथा संभव वाछित सूचनाओं को संग्रहित करते हुए सर्वप्रथम उनकी प्रविष्टि संबंधित डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में दर्ज की जाय ताकि उन्हें अद्यतन किया जा सके।

10. सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत बंदोबस्त की गयी भूमि से संबंधित जमाबंदी को अंचल कार्यालय में संधारित पंजी में दर्ज सूचनाओं के आधार पर अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

11. अंचल कार्यालयों में कार्यपालक सहायक की कमी को देखते हुए ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु आवेदन जमा करने के लिए अंचल कार्यालय के आस–पास में कार्यरत साईबर कैफे के संचालकों को भी आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाय ताकि वे सही प्रक्रिया अपना कर आवेदन ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल करने में रैयतों/क्रेता की मदद कर सके।

12. ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज एवं लगान भुगतान सुविधा के प्रक्रिया के संबंध में जिला, अनुमण्डल एवं अंचल स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय ताकि आम लोगों को इस सुविधा की जानकारी प्राप्त हो सके। इससे संबंधित आम सूचना का प्रारूप संलग्न है।

13. ऑन–लाईन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा के अधिकतम उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में अद्यतन लगान से संबंधित सभी प्रविष्टि सही–सही दर्ज हो। इसके लिए वित्तीय वर्ष–2017–18 एवं 2018–19 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भौतिक रूप से निर्गत राजस्व रसीद के आधार पर अंचल कार्यालय में सुरक्षित जमाबंदी पंजी की हार्ड कॉपी में लगान संबंधित अद्यतन प्रविष्टि को दर्ज कराते हुए डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में तत् संबंधी प्रविष्टि कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–......887-(8)/रा0, पटना, दिनांक–......03/12/2018

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार ठाकुर)
सहायक निदेशक, भू–अर्जन।

13. ऑन–लाईन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा के अधिकतम उपयोग हेतु यह आवश्यक है कि डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में अद्यतन लगान से संबंधित सभी प्रविष्टि सही–सही दर्ज हो। इसके लिए वित्तीय वर्ष–2017–18 एवं 2018–19 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भौतिक रूप से निर्गत राजस्व रसीद के आधार पर अंचल कार्यालय में सुरक्षित जमाबंदी पंजी की हार्ड कॉपी में लगान संबंधित अद्यतन प्रविष्टि को दर्ज कराते हुए डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजी में तत् संबंधी प्रविष्टि कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाज्ञापांक–............................/रा0, पटना, दिनांक–..............................2018

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विनय कुमार ठाकुर)
सहायक निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–............................/रा0, पटना, दिनांक–..............................2018

प्रतिलिपिः–सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सहायक निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांक–....887-(8)..../रा0, पटना, दिनांक–.......03/12/..2018

प्रतिलिपिः–सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक, भू–अर्जन।